नियमावली

1.संस्था का नाम – कृष्णा मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी
2.संस्था का पता – ग्राम लोरिहा पट्टी, पो0 सौंख, जिला मथुरा
3.संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.संस्था का उद्देश्य – स्मृति पत्र के अनुसार
5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

1.संरक्षक सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को 1001/– रुपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501 /– रुपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3.साधारण सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/–रुपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4.विशिष्ट सदस्य –
ऐसे व्यक्ति जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था को तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एव उपाधि प्राप्त सदस्यों जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति –

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

..2 पर

Scanned with OKEN Scanner

कोषाध्यक्ष–

1– संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना ।

2– प्रबन्धक/सचिव द्वारा सोपे गये कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक , मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व –संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख –

1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजेण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन –

यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो0र0जि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जायेगी ।

दिनांक–   सत्यप्रतिलिपि

कुलदीप जैन

साधना जैन

इन्द्रा जैन

Rakesh Jain

Scanned with OKEN Scanner